

[2009] 4 एस सीआर

636

बिनानी ज़िंक लिमिटेड व केरल राज्य विद्युत बोर्ड एव अन्य

सिविल अपील संख्या 2006 की 3492

19 मार्च 2009

[एस बी सिन्हा, अशोक कुमार गांगुली एवं आर एम लोढ़ा, जे जे]

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1998 -

एस.एस. 49, 59 और 79(i) - केरल राज्य विद्युत बोर्ड - दिनांक 24.10.2002 की अधिसूचना द्वारा टैरिफ में संशोधन - केएसईआरसी की स्थापना 14.12.2002 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत की गई और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी इसे बरकरार रखा। केएसईबी द्वारा संशोधित टैरिफ - आयोजित : धारा 17 के तहत एक राज्य/ विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निर्देशिका - 1948 अधिनियम की तुलना में 1998 अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना आवश्यक है - कानून शून्य पर विचार नहीं करता है इसके संचालन में - बोर्ड के पास टैरिफ को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र था - 1948 अधिनियम को 1998 अधिनियम द्वारा निरस्त या प्रतिस्थापित नहीं किया गया था - 1910 अधिनियम, 1948 अधिनियम और 1998 अधिनियम को 2003 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है लेकिन निरस्त अधिनियमों के तहत की गई कार्रवाइयों को इसमें सहेजा गया है जहां तक 2003 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं - नियामक आयोग को पूर्वव्यापी प्रभाव से टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है ताकि इसके गठन से पहले की अवधि को कवर किया जा सके - विद्युत अधिनियम, 1910 - विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 - एस29 - विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 185।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948

केरल राज्य सरकार, अपने आदेश के अनुसार दिनांक 17.8.2001, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन दाखिल किया और 14.12.2002 को केरल राज्य विद्युत आयोग

(केएसईआरसी) का गठन किया। इस बीच प्रतिवादी- केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केरल राज्य बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के टैरिफ यूएलएस 49, 59 और 79(जे) को संशोधित करके 1.10.2002 से जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

637

बिजली बोर्ड अतिरिक्त उच्च तनाव टैरिफ संशोधन आदेश, 2002 इसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी और जब मामला केएसईआरसी तक पहुंचा, तो उसने 30.4.2004 के एक आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ, कहा कि जिस दिन टैरिफ संशोधन अधिसूचना दिनांकित थी 24.10.2002 जारी किया गया था, बोर्ड को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 अभी भी लागू होने के बाद से टैरिफ निर्धारित करना था, अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 10.6.2003 से लागू हुआ है, उसके पहले की तरह काम करने वाला केएसईआरसी 2003 अधिनियम के तहत राज्य आयोग के रूप में कार्य करता रहा है और यह माना जाना चाहिए कि उसने अपीलकर्ता की याचिका पर विचार किया है। उसके प्रावधानों के संदर्भ में, यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1998 के अधिनियम को 2003 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष की गई अपील सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 2003 अधिनियम के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई, जिसमें कहा गया कि जब तक राज्य आयोग का गठन नहीं हुआ, तब तक टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति केएसईबी में निहित रहेगी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली त्वरित अपील को दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसने अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया। बीएसईएस लिमिटेड एवं अन्य बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

संदर्भ का उत्तर देते हुए, न्यायालय

आयोजित : 1.1 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग स्थापित करने का आदेश देती है। यदि उक्त प्रावधान की तुलना उक्त अधिनियम की धारा 17 से की जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार पर गठन के लिए ऐसा कोई आयोग शासनादेश नहीं लगाया गया है।

2003 (4) पूरक एससीआर 932

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

638

संसद ने सलाह दी कि धारा 17 में 'करेगा' शब्द का प्रयोग करते समय 'हो सकता है' और 'यदि यह उचित समझे' शब्दों का प्रयोग किया जाए। उसके 3 इसलिए, राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग की स्थापना निर्देशिका है। यह राज्य सरकार को राज्य आयोग गठित करने की कुछ विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। राज्य, पर्याप्त और ठोस कारणों से, ऐसे आयोग का गठन करने से इनकार कर सकता है या उचित समय के भीतर ऐसा करने में असफल हो सकता है या उपेक्षा कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार कुछ उपायों का सहारा ले सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि अदालत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य को ऐसे आयोग का गठन करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या आदेश जारी कर सकती है। [पैरा 21] [647-ईजी]

1.2 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की तुलना में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कानून अपने संचालन में शून्यता पर विचार नहीं करता है। 1948 अधिनियम को 1998 अधिनियम द्वारा निरस्त या प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। यह केवल 2003 के विद्युत अधिनियम के उल्लंघन 185 था कि विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और ईआरसी अधिनियम 1998 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन साथ ही निरस्त अधिनियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई तब तक बचाई गई है जब तक 2003 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। [पैरा 23 और 33] [653-डी]

1.3 यद्यपि 1998 के अधिनियम के लागू होने पर 1948 के अधिनियम में निहित प्रावधान, जो पहले के साथ असंगत पाए जाते हैं, को रास्ता दे दिया जाएगा, लेकिन जी यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई आयोग गठित नहीं किया जाता है, तो बोर्ड के पास ऐसा कोई आयोग टैरिफ तैयार करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। [पैरा 24] (648-डीई)

1.4 राज्य विद्युत बोर्ड के पास उस समय तक टैरिफ को संशोधित करने का अपेक्षित अधिकार के लिए आयोग का गठन किया गया था,

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

639

इसके माध्यम से 1998 अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका। जब तक राज्य सरकार द्वारा नियामक आयोग का गठन नहीं किया गया था, तब तक बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड के पास रही क्योंकि इसे विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। संसद नहीं कर सकती थी इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति लाना है जहां किसी भी प्राधिकारी को ईआरसी अधिनियम, 1998 के लागू होने की तारीख और आयोग के गठन के बीच टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार संसद को नहीं होगा। नियामक आयोग के गठन के बाद ही यह टैरिफ निर्धारित करने का एकमात्र प्राधिकारी होगा। [पैरा 34] (653-ईजी)

2.1 राज्य द्वारा गठित नियामक आयोग को टैरिफ निर्धारण का अधिकार दिया गया है। हालाँकि, इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है ताकि इसके गठन से पहले की अवधि को कवर किया जा सके। यदि आयोग को ऐसी शक्ति प्रदान की गई होती तो मामला अलग हो सकता था। यह अब कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि सभी कानून निश्चित रूप से एक स्पष्ट प्रावधान या इसके विपरीत इरादे के साथ अधिनियमित होने का संभावित विषय होंगे। [पैरा 30] [650-सीडी]

2.2 बीएसईएस को अपने तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। 1998 अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) किसी रेटिंग समिति के गठन पर रोक लगाती है। 'बीएसईएस' में महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उस स्थिति में जब ईआरसी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियामक आयोगों की स्थापना की गई थी, तो

बोर्ड सहित किसी अन्य प्राधिकरण के पास स्पष्ट रूप से टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति नहीं होगी। संभवतः इसी आधार पर यह समझा जाना चाहिए कि 1998 के अधिनियम के प्रावधानों को उस अवधि के लिए भी प्रभाव दिया जाना चाहिए, जिस अवधि के दौरान यह लागू नहीं हुआ था। बीएसईएस में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में यह स्पष्टीकरण संदर्भ का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। [पैरा 32 और 35]

[653-बीसी- 654-एबी]

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

640

"बीएसईएस लिमिटेड एवं अन्य बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 2003 (4) सप्लिमेंट एससीआर 932 = (2004) 1 एससीसी 195 - प्रतिष्ठित।

2006 का

केस कानून संदर्भ

2003 (4) पूरक। एससीआर 932 प्रतिष्ठित पारा 1

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3492 का 2006

2005 की अपील संख्या 154 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 24.07.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए के.के. वेणुगोपाल, सुधीर गुप्ता, सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, हिना रिज़वी,

उत्तरदाताओं के लिए टीएल विश्वनाथ लायर, एमटी जॉर्ज, जी प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एसबी सिन्हा, जे.

1. बीएसईएस लिमिटेड एवं अन्य बनाम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, [(2004)1एससीसी 195] के मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणी की शुद्धता या अन्यथा पर संदेह होने पर, इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है।

2. केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी), प्रतिवादी नंबर 2 का गठन और निगमन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में '1948 अधिनियम') के प्रावधानों के तहत किया गया है। निर्विवाद रूप से पहला प्रतिवादी 1948 अधिनियम की धारा 49, 59 और धारा 79 के खंड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा के लिए टैरिफ तय करने और संशोधित करने का हकदार है।

3. संसद ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (संक्षेप में 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया, जिसे 2 जुलाई, 1998 को या उसके आसपास भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। हालाँकि, 25 अप्रैल, 1998 से लागू हुआ माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

641

4. 13 मई, 1999 के आदेश द्वारा, केएसईबी ने 15 मई, 1999 से अपने टैरिफ को संशोधित किया। उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए एक एसोसिएशन द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी।

5. इसके बाद 3 मई, 2001 को केरल सरकार ने वृद्धाश्रमों, स्कूलों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के छात्रावासों आदि को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में वृद्धि की। संशोधित टैरिफ 10 अगस्त, 2001 से प्रभावी किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार, केएसईबी को रुपये का घाटा हो रहा था। प्रति माह 160.44 करोड़ रुपये और उक्त कमी को पूरा करने के लिए टैरिफ वृद्धि आवश्यक हो गई थी। उक्त नीतिगत निर्णय के अनुसरण में केएसईबी ने बाद में एक विस्तृत टैरिफ आदेश जारी किया।

6. केरल सरकार के विद्युत विभाग ने 17 अगस्त, 2001 को जीओ (एमएस) संख्या 23/2001/पीडी जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की गई कि केरल सरकार ने अस्थायी रूप से भारत सरकार के साथ एक समझौता जापान में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। समयबद्ध तरीके से केरल में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि करना। संबंधित पैरा में उक्त एमओयू में कहा गया है:-

"8. केरल अक्टूबर, 2001 तक एक स्वतंत्र राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन करेगा और मार्च 2002 तक टैरिफ याचिका दायर करेगा। एसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश

पूरी तरह से लागू किए जाएंगे जब तक कि अदालत के आदेशों पर रोक या रद्द नहीं किया जाता है,"

7. 11 अक्टूबर, 2001 को या उसके आसपास केरल सरकार द्वारा एक सरकारी आदेश एफ जारी किया गया था, जिसमें सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी।

8, केएसईबी ने 'केरल राज्य विद्युत बोर्ड अतिरिक्त उच्च तनाव टैरिफ संशोधन आदेश 2002' (या संक्षिप्तता के लिए) नामक एक आदेश जारी करके 1948 अधिनियम की धारा 49, 59 और धारा 79 की उप-धारा (जे) के तहत टैरिफ को संशोधित किया। '2002 आदेश'), उक्त आदेश 1 अक्टूबर, 2002 से लागू हुआ, जिसके संदर्भ में अतिरिक्त उच्च तनाव औद्योगिक इकाइयों के लिए टैरिफ में संशोधन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

642

9. केरल राज्य विद्युत आयोग (केएसईआरसी) का गठन 14 नवंबर, 2002 को केरल राज्य द्वारा 1998 अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया था।

10. उक्त 2002 आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे 2003 के ओपी 9798 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस बीच केएसईआरसी लागू हुआ, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को आयोग से संपर्क करने की अनुमति दी 30 दिन यह ध्यान में रखते हुए कि वह यह जांचने का हकदार होगा कि संशोधन 1998 अधिनियम की धारा 29 के अनुरूप है या नहीं।

11. संसद ने विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया जो 10 जून, 2003 से लागू हुआ।

एच

12. केएसईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के संदर्भ में अन्य बातों के साथ-साथ कहा:-

(ये) जिस दिन अधिसूचना दिनांक 24.10.2002 जारी की गई थी, बोर्ड को टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था क्योंकि बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 अभी भी लागू था।

(बी) एचटी और ईएचटी उपभोक्ता के लिए टैरिफ को फिर से निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है।

(सी) एचटी और ईएचटी श्रेणियों के लिए टैरिफ पर क्रॉस सब्सिडी लगभग 43% थी।

13. 1998 अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसके बाद 2 जुलाई, 2004 के एक आदेश द्वारा यह निर्देशित किया गया था -

"(ए) हालांकि टैरिफ संशोधन आदेश, 2002 ईआरसी अधिनियम, 1998 के लागू होने के बाद 24 अक्टूबर, 2002 को जारी किया गया था, बोर्ड को अधिसूचना जारी करने का अधिकार था क्योंकि नियामक आयोग का गठन नहीं किया गया था,

(बी) क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे के संबंध में, मामला नए निर्धारण के लिए आयोग को भेजा गया।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

643

14. इसके विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस अदालत ने 13 सितंबर, 2004 के एक आदेश द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें केएसईबी को निर्देश दिया गया कि वह 24.10.2002 को अपने दृष्टिकोण से पहले टैरिफ के अनुसार मांग का भुगतान करने की शर्त पर अपीलकर्ता की बिजली आपूर्ति को न काटे। अपीलकर्ता को केएसईबी के पास 1 करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी कहा गया था।

15. अदालत के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 10 जून, 2003 से लागू हुआ है, केएसईआरसी पहले से ही 2003 अधिनियम के तहत राज्य आयोग के रूप में कार्य कर रहा है और इस प्रकार यह यह माना जाना चाहिए कि उसने

अपीलकर्ताओं की याचिका पर उसके प्रावधानों के अनुसार विचार किया है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि 1998 के अधिनियम को 2003 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अपीलकर्ता द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष की गई अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

हालाँकि, इस न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते 2003 अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से विचार और निपटान किया जा सकता है।

16. उक्त आदेश के अनुसरण में या उसके अनुपालन में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है कि प्रतिवादी-केएसईबी के पास 24 जुलाई 2006 को बनाए गए टैरिफ को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र था। बताते हुए -

"26,...इसलिए, जब तक केरल राज्य द्वारा आयोग का गठन नहीं किया गया तब तक टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड में निहित रही,"

17. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील केके वेणुगोपाल आग्रह करेंगे : -

(i) 1998 अधिनियम के लागू होने पर राज्य एक उचित अवधि के भीतर विद्युत आयोग का गठन करने के लिए बाध्य था।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

644

(ii) 1998 अधिनियम के लागू होने पर प्रतिवादी- बोर्ड और/या केरल राज्य के पास 1948 अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में या अन्यथा टैरिफ को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं था,

(iii) किसी भी स्थिति में टैरिफ को संशोधित करते समय 1998 अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, विशेष रूप से क्रॉस सब्सिडी के संबंध में, जिसे विशेष रूप से 1998 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निपटाया गया था।

18. दूसरी ओर, बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एमटी जॉर्ज मुझसे आग्रह करेंगे-

(i) 1998 अधिनियम की धारा 17 आयोग का गठन करने के लिए राज्य पर कोई कानूनी दायित्व नहीं डालती है

(ii) जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता, बोर्ड के पास टैरिफ तय करने और/या संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि कानून शून्यता पर विचार नहीं करता है;

(iii) 1998 के अधिनियम ने 1948 के अधिनियम को निरस्त नहीं किया, 1948 अधिनियम की धारा 49 के संदर्भ में टैरिफ तय करने की शक्ति बोर्ड के पास बनी रही।

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय राज्य को आयोग गठित करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट या आदेश जारी नहीं कर सकता था,

19. इस स्तर पर हम 1998 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं।

1998 की धारा 2(सी) 'आयोग' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है, केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग या संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, जैसा भी मामला हो, 1998 की धारा 20 'राज्य आयोग' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना धारा 17 की उपधारा (1) के तहत की गई।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

645

धारा 3 केंद्रीय आयोग की स्थापना और निगमन का प्रावधान करती है, उपधारा (1) इस प्रकार पढ़ें-

"3. (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के रूप में ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी, और इस अधिनियम के तहत इसे जो कार्य सौंपे गए हैं।"

(जोर दिया गया)

अधिनियम की धारा 17 राज्य आयोग की स्थापना और निगमन का प्रावधान करती है, जिसकी उपधारा (1) इस प्रकार है:-

"(1) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य के लिए एक आयोग की स्थापना कर सकती है जिसे (राज्य का नाम) विद्युत नियामक आयोग के रूप में जाना जाएगा।

(जोर दिया गया)

धारा 22 राज्य आयोग के कार्यों से संबंधित है।

धारा 28 केंद्रीय आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान करती है।

धारा 29 राज्य आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान करती है, उप-धारा (1) और (2) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ा जाता है-

(1) किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, बिजली के अंतर-राज्य पारेषण के लिए टैरिफ और बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ, ग्रिड, थोक, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, एक राज्य में (इसके बाद संदर्भित) टैरिफ के रूप में), इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा और टैरिफ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस राज्य के राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

646

बशर्ते कि उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जहां संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है, ऐसे संयुक्त विद्युत नियामक आयोग प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग टैरिफ निर्धारित करेगा।

(2) राज्य आयोग विनियमों द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करेगा, और ऐसा करने में, निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा, अर्थात्-

(सी) कि टैरिफ उत्तरोत्तर दक्षता के पर्याप्त और बेहतर स्तर पर बिजली की आपूर्ति की लागत को दर्शाता है:

(डी) वे कारक जो दक्षता को प्रोत्साहित करेंगे। संसाधनों का किफायती उपयोग, अच्छा प्रदर्शन, इष्टतम निवेश, और अन्य मामले जिन्हें राज्य आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मानता है;

(ई) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है और साथ ही, उपभोक्ता ऊर्जा आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर उचित तरीके से बिजली के उपयोग के लिए भुगतान करते हैं:

(एफ) बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित की जाती है;

(जी) केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय बिजली योजनाएँ,

धारा 51 और 52 इस प्रकार पढ़ें : -

"धारा 51 - 1948 के अधिनियम 54 का संशोधन - ऐसी तारीख से प्रभावी, जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43 ए की उप-धारा (2) नियुक्त करेगी।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

647

बशर्ते कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग तारीखें नियुक्त की जा सकें।

धारा 52 - अध्यारोही प्रभाव

धारा 49 में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

20. 1998 का अधिनियम निर्विवाद रूप से बिजली क्षेत्र के सामने आने वाले मूलभूत मुद्दों से संबंधित सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, अर्थात् तर्कसंगत खुदरा टैरिफ की कमी, उच्च स्तरीय क्रॉस सब्सिडी, खराब योजना और संचालन, अपर्याप्त क्षमता और हितों की सुरक्षा के लिए। 1998 अधिनियम और 1948 अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में बोर्ड की तुलना में आयोग के उपभोक्ता क्षेत्राधिकार को बड़ी संख्या में कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

22. वास्तव में इस मामले में केंद्र सरकार स्वयं राज्य सरकार को स्थापित करने के लिए राजी करने में सक्षम थी

21. 1998 अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग स्थापित करने का आदेश देती है। यदि उक्त प्रावधान की तुलना 1998 के अधिनियम की धारा 17 से की जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार पर ऐसे आयोग का गठन करने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। संसद ने सलाह दी कि अधिनियम की धारा 17 में 'हो सकता है' और 'यदि उचित समझे तो' शब्दों का प्रयोग किया जाए, जबकि धारा 3 में 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया जाए। अतः राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग की स्थापना निर्देशिका है। यह राज्य सरकार को राज्य आयोग गठित करने के लिए कुछ विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। राज्य, पर्याप्त और ठोस कारणों से, ऐसे आयोग का गठन करने से इनकार कर सकता है या उचित समय के भीतर ऐसा करने में असफल हो सकता है या उपेक्षा कर सकता है। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार कुछ उपायों का सहारा ले सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि अदालत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, परमादेश की प्रकृति में एक रिट या आदेश जारी कर सकती है, जिसमें राज्य को ऐसा गठन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

648

आयोग ने 17 अगस्त, 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके केरल राज्य को अक्टूबर 2001 तक आयोग का गठन करने के लिए बाध्य किया।

यदि श्री वेणुगोपाल के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है, तो वरिष्ठ अदालतें सरकार को सशर्त कानून भी लागू करने का निर्देश देने की हकदार होंगी। इसलिए, हमारी राय है कि यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

23. 1998 अधिनियम की तुलना में 1948 अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कानून अपने संचालन में शून्यता पर विचार नहीं करता है। 1948 अधिनियम को 1998

अधिनियम द्वारा निरस्त या प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। धारा 61 ने केवल अध्यादेश का स्थान लिया।

24. इस प्रकार, यह कहना एक बात होगी कि 1998 के अधिनियम के लागू होने पर 1948 के अधिनियम में निहित प्रावधान जो पहले के साथ असंगत पाए जाते हैं, उन्हें रास्ता दे दिया जाएगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि हालांकि कोई आयोग गठित होने पर बोर्ड के पास टैरिफ तय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

25. भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड एक राज्य है। यह एक वैधानिक प्राधिकार है। यदि बोर्ड के पास धारा 49 और 1948 अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार टैरिफ तैयार करने या संशोधित करने की शक्ति है, जो प्रकृति में पूर्ण है, जब तक कि ऐसी शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाने वाला कोई वैधानिक प्रावधान लागू नहीं किया जाता है, तब तक इसे नहीं माना जा सकता है। उसका खंडन किया।

26 टैरिफ बनाने की शक्ति उसे संशोधित करने की शक्ति अपने भीतर लाएगी। समय-समय पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग उसकी अत्यावश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

27. 1998 अधिनियम के प्रावधानों के तहत शक्तियों/दिशानिर्देशों का प्रयोग केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग द्वारा किया जाना था। उक्त के लिए इसे अस्तित्व में आना उद्देश्य होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

649

1998 अधिनियम की धारा 29 या धारा 52 में निहित एक गैर-अप्रत्याशित खंड केवल तभी लागू होगा जब आयोग लागू होगा और उससे पहले नहीं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग आयोग द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाना है। इसलिए, इसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले अस्तित्व में आना होगा।

28. इसलिए, हमारे लिए खुद को यह समझाना मुश्किल है कि 1998 के अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में निहित खंड (सी) से (जी) में गिनाए गए कारक उन सिद्धांतों का प्रावधान करते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। आयोग राज्य विद्युत बोर्डों पर भी बाध्यकारी था।

राज्य बिजली बोर्ड 1948 अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार टैरिफ तय करने के हकदार हैं। इस प्रकार तैयार किया गया टैरिफ विधायी प्रकृति का है। एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में बोर्ड कानून के चारों कोनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। इसे 1948 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित प्रावधानों को अपनाकर टैरिफ निर्धारण के क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। यह कहना एक बात है कि टैरिफ तय करते समय यह केवल अधिनियम से जुड़ी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों और/या राज्य द्वारा जारी नीतिगत निर्णयों में निहित निर्देशों के साथ-साथ इसे नियंत्रित करने वाले अन्य वैधानिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रख सकता है, लेकिन तब इसके द्वारा बनाए गए टैरिफ को केवल इसलिए अधिकारातीत नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें 1998 अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (सी) से (जी) में निर्धारित कुछ सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग को 1998 अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में धारा 46, 56 और 57 के तहत प्रदान किए गए सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। 1948 के अधिनियम के साथ-साथ उससे जुड़ी छठी अनुसूची भी। इसलिए, 1998 का अधिनियम, जो 1948 अधिनियम में निहित सिद्धांतों को भी मान्यता देता है।

29. इसलिए, 1998 अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों को उसमें निहित अन्य प्रावधानों के प्रकाश में पढ़ा जाना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

650

यह भी कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कानून में ऐसा कुछ भी करने की परिकल्पना नहीं है जिसे किया जाना असंभव हो। लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया गौसा ओमिस गौसा ओमिस एक प्रसिद्ध सिद्धांत है।

यह सुझाव देना बेतुका होगा कि आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को विद्युत बोर्डों द्वारा बलपूर्वक अपनाया जाना आवश्यक था, इस तथ्य के बावजूद कि आयोग अस्तित्व में नहीं आया था।

30. आयोग को टैरिफ तय करने का अधिकार दिया गया है। हालाँकि, इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है ताकि इसके गठन से पहले की अवधि

को कवर किया जा सके। यदि आयोग को ऐसी शक्ति प्रदान की गई होती तो मामला अलग हो सकता था। यह अब कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कानून का नियम अन्य बातों के साथ-साथ यह मानता है कि सभी कानून किसी स्पष्ट प्रावधान या इसके विपरीत इरादे को लागू करने के लिए संभावित विषय होंगे।

31. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर हम देख सकते हैं कि बीएसईएस (सुप्रा) के मामले में बिजली आयोग का गठन 5 अगस्त, 1999 को किया गया था। लाइसेंसधारी (टाटा पावर) और स्टैंडबाय शुल्क के बीच के भुगतान के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। 1 दिसंबर, 1998 से 31 मार्च, 1999 की अवधि के लिए उसमें अपीलकर्ता (बीएसईएस)। हम उक्त मामले के तथ्य को देख सकते हैं-

"...275 एमवीए की स्टैंडबाय आपूर्ति के शुल्क को बढ़ाने के लिए टीपीसी द्वारा दिए गए नोटिस के कारण, एक विवाद उत्पन्न हुआ और 4-3-1999 को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार और प्रतिनिधियों दोनों पक्ष मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने हालांकि दोनों पक्षों को सरकार का हवाला दिए बिना आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी, साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए, अर्थात् बीएसईएस को 22 रुपये में से 9 करोड़ रुपये साझा करने चाहिए। 1-12-1998 से 31-3-1999 की अवधि के लिए एमएसईबी द्वारा टीपीसी पर लगाए गए करोड़ों अतिरिक्त स्टैंडबाय शुल्क और स्टैंडबाय साझा करने से संबंधित मुद्दा 1-4-1999 से आगे की अवधि के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति को भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

651

इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बीएसईएस द्वारा टीपीसी को भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क सहित कुछ मुद्दों का अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 27-5-1999 को एक समिति का गठन किया। इसके तुरंत बाद, 5-8-1999 को महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में "आयोग") का गठन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। 27-5-1999 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति ने 2-5-2000 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि आयोग के गठन के मद्देनजर, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का प्रश्न केवल आयोग द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। आयोग और तदनुसार निर्णय लिया गया कि उक्त मुद्दे को

निर्धारण के लिए आयोग को भेजा जाए। इस संबंध में संबंधित पक्षों को सूचना भी भेज दी गई है। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने 22-3-2000 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत बीएसईएस को टीपीसी द्वारा एमएसईबी को देय स्टैंडबाय शुल्क की राशि के 50 प्रतिशत की दर से टीपीसी को स्टैंडबाय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह इस आधार पर किया गया था कि एमएसईबी टीपीसी को 550 एमवीए की स्टैंडबाय सुविधा प्रदान कर रहा था और चूंकि टीपीसी बीएसईएस को 275 एमवीए की स्टैंडबाय सुविधा प्रदान कर रहा था, इसलिए उसे उक्त राशि का आधा भुगतान करना चाहिए। आदेश में आगे प्रावधान किया गया कि 1-12-1998 से 31-3-1999 की अवधि के लिए बीएसईएस को टीपीसी को स्टैंडबाय शुल्क के रूप में 9 करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहिए। बीएसईएस सरकार के उपरोक्त आदेश से संतुष्ट नहीं थी और उसने इसकी समीक्षा के लिए बार-बार अनुरोध किया और अंततः 6-10-2000 को सरकार को एक विस्तृत पत्र भेजकर मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

उपर्युक्त तथ्य स्थिति में डिविजन बेंच को निम्नानुसार आयोजित किया गया-

"19, श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया है कि टीपीसी ने बीएसईएस को प्रदान की जाने वाली स्टैंडबाय सुविधा के शुल्क को 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15.125 करोड़ रुपये प्रति माह करने के अपने इरादे के बारे में 30-9-1998 को एक नोटिस दिया था और

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

652

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची (पैरा I, तीसरा प्रावधान) के तहत, बढ़ाए गए शुल्क नोटिस देने के 60 दिनों की समाप्ति के बाद यानी 1-2-1998 से प्रभावी और प्रभावी हो गए। प्रस्तुतीकरण यह है कि कानून के संचालन से स्टैंडबाय सुविधा के लिए शुल्क 1-12-1998 से संशोधित और बढ़ाए गए हैं। हमारी राय में, उठाए गए विवाद में कोई दम नहीं है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के लागू होने से कानूनी स्थिति में पूर्ण बदलाव आया है। अधिनियम की धारा 29 के मद्देनजर, बिजली के अंतर-राज्य पारेषण के लिए टैरिफ और थोक में बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ; थोक या खुदरा का निर्धारण राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाना है और कोई लाइसेंसधारी अपनी एकतरफा कार्रवाई से शुल्क नहीं बढ़ा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों का अधिनियम की धारा 52 के आधार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 का कोई भी प्रावधान,

जो अधिनियम के साथ असंगत है, लागू होना बंद हो जाएगा और परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची के प्रावधान अब लागू नहीं हो सकते हैं। छठी अनुसूची बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57 और 57-ए के आधार पर बनाई गई है और धारा 57-बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी के शुल्क की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक रेटिंग समिति के गठन पर विचार करती है। अधिनियम की धारा 29 विशेष रूप से बताती है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57-ए और 57-बी में निहित किसी भी बात के बावजूद, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के बाद कोई रेटिंग समिति गठित नहीं की जाएगी। धारा 29 और उसके तहत बनाए गए विनियमों का प्रभाव यह है कि अब लाइसेंसधारी या उपयोगिता के लिए टैरिफ में एकतरफा वृद्धि करना संभव नहीं है। टैरिफ को केवल आयोग की मंजूरी के बाद ही बढ़ाया जा सकता है और बढ़े हुए टैरिफ को चार्ज करना, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, अपराध करना माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

653

इसलिए चार्ज बढ़ाने का नोटिस टीपीसी द्वारा दिया गया, जो अधिनियम के प्रवर्तन के बाद था, कोई कानूनी प्रभाव नहीं हो सकता है।"

32. बीएसईएस (सुप्रा) को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। 1998 अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) रेटिंग समिति के गठन पर रोक लगाती है। 'बीएसईएस' में महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उस स्थिति में जब ईआरसी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियामक आयोगों की स्थापना की गई थी, तो बोर्ड सहित किसी अन्य प्राधिकरण के पास स्पष्ट रूप से टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति नहीं होगी। संभवतः इसी आधार पर यह समझा जाना चाहिए कि 1998 के अधिनियम के प्रावधानों को उस अवधि के लिए भी प्रभावी किया जाना चाहिए जिसके दौरान यह लागू नहीं हुआ था।

33. हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1998 को ईआरसीएक्ट, 1998 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। यह केवल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 के तहत था, जो भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति अधिनियम) के प्रावधान थे 1948 और ईआरसी अधिनियम 1998 को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन

साथ ही 1910 या 1948 या 1998 अधिनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को तब तक बचाया गया है जब तक वे 2003 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

34. हालाँकि, हमें यह जानने में कोई झिझक नहीं है कि जब तक आयोग का गठन नहीं हुआ था तब तक राज्य बिजली बोर्ड के पास टैरिफ को संशोधित करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था और 1998 अधिनियम के उद्देश्यों को इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। जब तक केरल राज्य द्वारा विनियामक आयोग का गठन नहीं किया गया, तब तक बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड के पास रही क्योंकि इसे विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। संसद नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति लाने का इरादा है जहां किसी भी प्राधिकारी को ईआरसी अधिनियम, 1998 के लागू होने की तारीख और आयोग के गठन के बीच टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा। विनियामक आयोग के गठन के बाद ही यह टैरिफ निर्धारित करने का एकमात्र प्राधिकार होगा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2009] 4 एससीआर

654

35 इसलिए, हमारा यह सुविचारित मत है कि यह बीएसईएस (सुप्रा) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में एक स्पष्टीकरण संदर्भ का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा।

36. हालाँकि, श्री वेणुगोपाल यह प्रस्तुत करेंगे कि अपील में कानून के अन्य तर्क/पर्याप्त प्रश्न उठाए गए हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्णय उचित दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जा सकता है।

37. इस सन्दर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

38. मामला अब समक्ष पीठ में रखा जा सकता है

संदर्भ उत्तर दिया गया.